

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :- एफ.3(ग)ए.सी.पी./1990-11/अलेसे-11/28826-35  
आदेश संख्या.....198...../2015-16

दिनांक:- 25/02/2016

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)एफडी/रुल्स/2008/दिनांक 12.09.2008 एवं दिनांक 06.10.2008 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में श्री प्रकाश चन्द महावर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 जिनकी मेरिट संख्या 314/90, लिंक नम्बर 4936 एवं जन्मतिथि 01.04.1968 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनांक 26.07.1993 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली हैं, को इनकी द्वितीय ए.सी.पी. (आश्वासित कैरियर प्रगति) पे-बैंड 2(9300-34800) एवं ग्रेड-पे 4200/- दिनांक 26.07.2011 से स्वीकृत की जाती है।

श्री प्रकाश चन्द महावर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र की प्राप्ति के आधार पर इनकी द्वितीय ए.सी.पी. (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृत कि जाती है।

श्री प्रकाश चन्द महावर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी गत 9 वर्षों की अवधि में से 7 वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र एवं संतान सम्बन्धी घोषणा पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय ए.सी.पी. (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधन किया जावेगा।

श्री प्रकाश चन्द महावर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(रुल्स) 2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 3600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पूर्व में इनकी द्वितीय ए.सी.पी. (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृत नहीं की गई है, द्वितीय ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष तक इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है, इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं इन्हें गत 7 वर्षों से नियमित रूप से नियमानुसार वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावे।

(भास्कर शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3(ग)ए.सी.पी./1990-11/अलेसे-11/28826-35  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 25/02/2016

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष - उप निदेशक (प्रशासन), सूचना एवं जन संपर्क विभाग, जयपुर।
2. श्री प्रकाश चन्द महावर, कार्यालय- उप निदेशक (प्रशासन), सूचना एवं जन संपर्क विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

(डॉ. मनीष शुक्ला)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)